



# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़, उज्जैन 456010 (म.प्र.)

श्वेत मक्खन भण्डारण के लिए कोल्ड स्टोरेज किराये पर लेने  
हेतु अल्पकालीन ई-निविदा प्रपत्र

क्रमांक / उ.दु.सं. / उत्पा. / परिवहन ई-निविदा / 2022 / 3610 / दिनांक 12.9.22

ई-निविदा दिनांक 12.9.22 तक ऑनलाईन वेब साईट <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा संबंधि विस्तृत शर्तें एवं अन्य जानकारी हेतु [www.mpcdf.nic.in](http://www.mpcdf.nic.in) पर लॉगआन करें।  
Digital Signature हेतु मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल से टोल फ्री नम्बर 18002745454 / 18002748484 पर सम्पर्क करें।

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़ उज्जैन - 456001 (म.प्र.)

फोन नं. : (0734) 2527061, 2527068, 2527066

फैक्स नं. 0734-2527063

E-mail : [udsplant@yahoo.com](mailto:udsplant@yahoo.com)

निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 1,000.00 (रूपये एक हजार मात्र)

1

1/2 CMIS  
21/9/22

1/2 GMPD

1/2 finance  
1/2 B.C.

1/2 Purcho



# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527061, 2527068, 2527066 Fax : 0734-2527063

E-mail: udsmsis@yahoo.com

क्रमांक/उ.दु.सं./उत्पा./2022/157

उज्जैन, दिनांक 3.9.22

## ई-निविदा सूचना

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा लगभग 700 मेट्रिक टन श्वेत मक्खन -18° C पर भण्डारण हेतु डीपफ्रज/कोल्ड स्टोर किराये पर लेने हेतु ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। ई-निविदा प्रपत्र निर्धारित मूल्य ऑनलाइन जमा कर मध्यप्रदेश ई-टेंडर की वेबसाइट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) से दिनांक 6.9.22 से क्रय की जा सकती है। ई-निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर [www.sanchidairy.com](http://www.sanchidairy.com)/[www.sanchiujjain.com](http://www.sanchiujjain.com) देखा एवं पढ़ा जा सकता है। निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम दिनांक 12.9.22 समय दोपहर 12:30 बजे तक है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास एक अथवा सम्पूर्ण निविदाओं को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा में किसी भी प्रकार की संशोधन की सूचना केवल ऑनलाइन जारी की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी





# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527061, 2527068, 2527066 Fax : 0734-2527063

E-mail: udsmsis@yahoo.com

क्रमांक / उ.दु.सं. / उत्पा. / 2022 /

उज्जैन, दिनांक :

## श्वेत मक्खन भंडारण हेतु ई-निविदा सूचना

Tender ID:-

निविदा प्रपत्र	
निविदा कार्य - श्वेत मक्खन भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर किराये पर लेने हेतु ई-निविदा।	
ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु. 1,000/- (अक्षरी- रूपये एक हजार मात्र)
1. ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाइन विक्रय प्रारंभ जारी करने की दिनांक एवं समय।	दिनांक: 08.09.2022 दोपहर 3.00 बजे से (ई पोर्टल के माध्यम से)
2. ई-निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक: 12.09.2022 सुबह 12.30 बजे तक (ई पोर्टल के माध्यम से)
3. ई-निविदा प्रपत्र भरने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक: 12.09.2022 दोपहर 12.30 बजे तक (ई पोर्टल के माध्यम से)
4. ई-निविदा प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	दिनांक: 13.09.2022 दोपहर 3.30 बजे (ई पोर्टल के माध्यम से)
5. ई-निविदा खुलने का स्थान	कार्यालय, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456010
6. पत्र व्यवहार हेतु पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456010
7. अमानत राशि (केवल ऑनलाईन ही जमा करें)	रु. 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र)
संलग्न प्रपत्र :-	
8. 01- परिशिष्ट-(अ) 02- परिशिष्ट-(ब) 03- परिशिष्ट-(स) 04- परिशिष्ट-(द) 05- परिशिष्ट-(ई)	कार्य विवरण एवं कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता संबंधी विवरण। सामान्य नियम एवं शर्तें। अनुबंध प्रपत्र की आवश्यक शर्तें। तकनीकी प्रपत्र (आवश्यक रूप से प्रत्येक निविदाकर्ता को भरना है।) दर प्रपत्र।



# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527061, 2527068, 2527066 Fax : 0734-2527063

E-mail: udsmsis@yahoo.com

क्रमांक/उ.दु.सं./उत्पा./2022/157

उज्जैन, दिनांक : 3.9.22

## परिशिष्ट - (अ)

### कार्य का विवरण

(अ) उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन के निर्मित श्वेत मक्खन लगभग 700 मेट्रिक टन का भण्डारण - 18° C पर डीपफ्रज/कोल्ड स्टोर में किया जाना है। इस हेतु डीपफ्रज/कोल्ड स्टोर किराए पर लिए जाने की आवश्यकता है। कार्यावधि सामान्यतः 2 वर्षों के लिए मान्य होगी जिसे आपसी सहमति के आधार पर 1 वर्ष बढ़ाया जा सकेगा। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा ई-निविदाएँ आमंत्रित की जा रही हैं। दर प्रति कि.ग्रा./माह मान्य होगी।

### (ब) कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता संबंधी विवरण

क्रमांक	क्षमता	कार्य नियोजन
1	लगभग 700 मेट्रिक टन	उज्जैन दुग्ध संघ के निर्मित श्वेत मक्खन का भण्डारण - 18° C पर डीपफ्रज/कोल्ड स्टोर में किया जाना है। ।

नोट :- श्वेत मक्खन की मात्रा कम या अधिक हो सकती है।





# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527061, 2527068, 2527066 Fax : 0734-2527063

E-mail: udsmsis@yahoo.com

क्रमांक / उ.दु.सं. / उत्पा. / 2022 /

उज्जैन, दिनांक :

## परिशिष्ट - (ब)

### ई-निविदा की सामान्य शर्तें

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन, मक्सी/देवास/इन्दौर क्षेत्र के डीपफ्रीज/कोल्ड स्टोर मालिकों से श्वेत मक्खन भंडारण हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास एक अथवा सम्पूर्ण निविदाओं को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा में किसी भी प्रकार की संशोधन की सूचना केवल ऑनलाइन जारी की जावेगी।

#### 1.0 निविदा प्रस्तुतीकरण

1.1 निविदायें निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित दिनांक एवं समय पर अथवा समय के पूर्व सभी दस्तावेज केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत किये जाने होंगे।

1.2 हस्ताक्षरकर्ता को यह स्पष्ट करना होगा कि वह :-

(अ) फर्म का प्रोप्राइटर है अथवा फर्म के प्रोप्राइटर का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है।

(ब) यदि पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर की हैसियत से हस्ताक्षर किये गये हैं, तो ऐसा किये जाने हेतु उसे अधिकार पत्र अथवा पार्टनरशिप कगमक में इसका उल्लेख किया गया हो।

1.3 निविदाकार को स्पष्ट रूप से निविदा प्रपत्र में पता, ई-मेल, दूरभाष नं., मोबाईल नं. एवं ईमेल आईडी दी जानी होगी। यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना तुरंत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, को दिया जाना होगा, ताकि परिवर्तित पते पर पत्राचार किया जा सके।

#### 2.0 अमानत राशि

2.1 निविदाकार को रुपये 20,000/- (बीस हजार रुपये मात्र) की अमानत राशि का ऑनलाइन भुगतान किया जाना होगा तथा समस्त अनिवार्य दस्तावेज केवल ऑनलाइन ही अपलोड किये जाने होंगे।



- 2.2 प्रथम न्यूनतम दर निविदाकर्ता की जमा अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 3.0 धरोहर राशि
- 3.1 दर स्वीकृत होने के पश्चात स्वीकृत निविदाकार को उज्जैन दुग्ध संघ में धरोहर राशि रुपये 1,00,000.00 (रुपये एक लाख मात्र) करना अनिवार्य होगा। जिस पर उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जावेगा।
- 3.2 निविदा स्वीकृत होने पर निविदा प्रस्तुतकर्ता को संघ द्वारा निर्धारित दिन एवं समय पर अनुबंध रु. 1000/- (एक हजार रु. मात्र) के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर एवं वाटर मार्क पेपर पर टाईप करवाकर, नोटरी करवाकर अनुबंध पर स्वयं के फोटो सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा, निर्धारित समयावधि में अनुबंध संपादित नहीं किया जाता है, तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी, तथा ई.एम.डी राशि राजसात कर ली जावेगी।
- 4.0 दर
- 4.1 निविदा में दर प्रस्तुत करते समय यह स्पष्ट किया जाना होगा कि उक्त दरें लोडिंग एवं अनलोडिंग व्यय सहित है।
- 5.0 भंडारण (तापक्रम भंडारण तथा निरीक्षण)
- 5.1 डीपफ्रीज/कोल्ड स्टोर में मक्खन का भंडारण  $-18^{\circ}\text{C}$  सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाना होगा। परिसर में मक्खन का भंडारण तथा डीपफ्रीज/कोल्ड स्टोर की पर्याप्त स्वच्छता बरतनी होगी। मक्खन के भंडारण के पूर्व कोल्ड स्टोर को फ्यूनिगेट किया जाना होगा। परिसर में किसी भी प्रकार की Fowl Smell नहीं आना चाहिये।
- 5.2 मक्खन को स्वच्छ प्लास्टिक के तख्तों पर भंडारण किया जाना होगा।
- 5.3 मक्खन का परिवहन संघ द्वारा किया जायेगा तथा इसकी लोडिंग एवं अनलोडिंग का व्यय निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
- 5.4 डीपफ्रीज चेंबर का तापक्रम  $-18^{\circ}\text{C}$  से कम निश्चित रूप से होना चाहिये।
- 5.5 यदि संघ के अधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मक्खन का बॉडी तापमान  $-10^{\circ}\text{C}$  सेंटीग्रेड से कम पाया जाता है तो इसका पंचनामा बनाया जायेगा एवं रुपये 10,000/- (दस हजार मात्र) प्रति प्रकरण की दर से दंड निरूपित किया जायेगा तथा मक्खन के तापक्रम को निरीक्षण के सात दिवस के अंदर नियंत्रित नहीं किया जाता है तो मक्खन का पूरा स्टॉक अन्य शीतगृह में स्थानांतरित कर दिया जायेगा एवं इसके व्यय की प्रतिपूर्ति डीपफ्रीज मालिक के लंबित देयकों से की जायेगी।
- 5.6 उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के प्रतिनिधियों को यह अधिकार होगा कि वे बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी कोल्ड स्टोर/डीपफ्रीज का निरीक्षण कर सकते हैं।
- 5.7 मक्खन का भंडारण इस प्रकार किया जाना होगा कि मक्खन के बक्सों की पंक्तियों के बीच ठंडी हवा आ जा सके तथा मक्खन का नमूना सुविधापूर्ण ढंग से किया जा सके।



- 5.8 मक्खन की स्टेकिंग की ऊँचाई डीपफ्रीज चेंबर में 11 बक्सों की ऊँचाई से अधिक नहीं होगा चाहिये ।
- 5.9 श्वेक मक्खन भंडारण हेतु (FSSAI) लाइसेन्स लिया जाना होगा ।
- 6.0 **बीमा**
- 6.1 मक्खन का अग्नि एवं चोरी (Fire & Theft) बीमा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जावेगा ।
- 7.0 **भुगतान**
- 7.1 निविदाकर्ता द्वारा निविदायें अनुमोदित दर से मासिक देयक प्रत्येक माह के अंत में प्रस्तुत किये जायेंगे ।
- 7.2 भुगतान प्रत्येक माह की 10वीं, 20वीं एवं अंतिम दिनांक के अंतिम शेष के आधार पर किया जायेगा ।
- 8.0 **निविदा प्रस्तुतिकरण**
- 8.1 प्रथम: उक्त अनुबंध अवधि दो वर्ष हेतु रहेगी किंतु आपकी सहमति से अधिकतम एक वर्ष और कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा ।
- 8.2 अपूर्ण पता अथवा पहचान के कारण निरस्त हुई निविदाओं की जवाबदारी दुग्ध संघ की नहीं होगी । समयावधि में प्राप्त निविदाओं पर ही विचार किया जावेगा ।
- 8.3 निविदा खुल जाने के पश्चात् निविदाकार को निविदा/दर भरने में हुई गलती के कारण निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा ।
- 8.4 निविदा में किये गये सुधार/ओवरसाइटिंग के स्थान पर निविदाकार के हस्ताक्षर होने चाहिये ।
- 8.5 निविदा के साथ इन्कम टैक्स क्लियरन्स प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- 8.6 दरें परिशिष्ट- (स) में ही भरी जायें । सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेंगी ।
- 8.7 एक व्यक्ति/फर्म द्वारा केवल एक ही निविदा प्रस्तुत की जावे ।
- 8.8 एक व्यक्ति/फर्म द्वारा एक से अधिक अलग अलग नामों से प्रस्तुत निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेंगी ।
- 8.9 निविदाकार संपूर्ण निविदा का कार्य या आंशिक भाग मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन की लिखित अनुमति के बिना किसी दूसरी पार्टी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा ।
- 8.10 उच्च तापक्रम पर मक्खन के भंडारण के कारण, मक्खन की गुणवत्ता प्रभावित होने, अधिक एफ.एफ.ए, ईस्ट एवं मोल्ड बढ़ने पर संपूर्ण जवाबदारी कोल्ड स्टोर मालिक की

होगी । इस प्रकार हुई संपूर्ण हानि की वसूली डीपफ्रीज मालिक से मक्खन की तत्कालीन बाजार दर से की जावेगी एवं यह उस पर बंधनकारी होगा ।

- 8.11 निविदा भरते समय निविदाकार को उसकी कोल्ड स्टोर/डीपफ्रीज संबंधी समस्त गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी होगी ।
- 8.12 भण्डारण के दौरान यदि भवेत मक्खन की मात्रा में कमी होती है तो उक्त मात्रा का तत्कालीन दर से कटौत किया जावेगा ।
- 8.13 श्वेत मक्खन का भण्डारण संयंत्र में मक्खन की अतिशेष मात्रा अनुसार किया जावेगा । एवं श्वेत मक्खन की वापसी संघ की आवश्यकतानुसार की जावेगी ।
- 8.14 कार्यादेश दिये जाने के पूर्व दुग्ध संघ की समिति द्वारा कोल्ड स्टोरेज की क्षमता, मशीनरी इत्यादि की क्षमता एवं कार्य कुशलता आदि का निरीक्षण करने के पश्चात ही निर्णय लिया जायेगा ।

#### 9.0 अनुबंध का निरस्तीकरण

- 9.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन को यदि वह आवश्यक समझता है तो यह अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध को अपने स्वयं के निर्णय से बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर सके जिसके लिये कोल्ड स्टोर मालिक किसी तरह आपत्ति नहीं उठा सकेगा ।

#### 10.0 विवाद की स्थिति का निराकरण

- 10.1 निविदाकार के मक्खन समुचित रूप से ठंडा नहीं कर पाने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन का निर्णय अंतिम होगा एवं निविदाकार पर बंधनकारी होगा ।
- 10.2 उपरोक्त नियम एवं शर्तों के पालन के संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद की स्थिति के निराकरण के संबंध में अध्यक्ष उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा ।
- 10.3 किसी भी विवाद हेतु कार्यक्षेत्र उज्जैन रहेगा एवं विवाद सहकारी न्यायालय में निपटाये जायेंगे ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन





# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527061, 2527068, 2527066 Fax : 0734-2527063

E-mail: udsmsis@yahoo.com

## परिशिष्ट –(स)

### अनुबन्ध की शर्तें

1. कार्य प्रारंभ होने से एक वर्ष (कार्य प्रारंभ होने के पूर्व) तक की राशि रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) मात्र की धरोहर राशि उज्जैन दुग्ध संघ में निविदाकार को जमा की जानी होगी।
2. डीपफ्रीज/कोल्ड स्टोर में मक्खन का भंडारण  $-18^{\circ}\text{C}$  सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाना होगा। परिसर में मक्खन का भंडारण तथा डीपफ्रीज/कोल्ड स्टोर की पर्याप्त स्वच्छता बरतनी होगी। मक्खन के भंडारण के पूर्व कोल्ड स्टोर को फ्यूमिगेट किया जाना होगा।
3. मक्खन को स्वच्छ प्लास्टिक के तख्तों पर भंडारण किया जाना होगा।
4. मक्खन का परिवहन संघ द्वारा किया जायेगा तथा इसकी लोडिंग एवं अनलोडिंग का व्यय संघ द्वारा वहन किया जायेगा।
5. डीपफ्रीज चेंबर का तापक्रम  $-18^{\circ}\text{C}$  निश्चित रूप से होना चाहिये।
6. यदि संघ के अधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मक्खन Body का तापमान  $-10^{\circ}\text{C}$  सेंटीग्रेड से कम पाया जाता है तो इसका पंचनामा बनाया जायेगा एवं रुपये 10,000/- (दस हजार मात्र) प्रति प्रकरण की दर से दंड निरूपित किया जायेगा तथा मक्खन के तापक्रम को निरीक्षण के सात दिवस के अंदर नियंत्रित नहीं किया जाता है तो मक्खन का पूरा स्टॉक अन्य शीतगृह में स्थानांतरित कर दिया जायेगा एवं इसके व्यय की प्रतिपूर्ति डीपफ्रीज मालिक के लंबित देयकों से की जायेगी।
7. उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के प्रतिनिधियों को यह अधिकार होगा कि वे बिना किसी पूर्व सूचना के कोल्ड स्टोर/डीपफ्रीज का निरीक्षण कर सकें।
8. मक्खन का भंडारण इस प्रकार किया जाना होगा कि मक्खन के बक्सों की पंक्तियों के बीच ठंडी हवा आ जा सके तथा मक्खन का नमूना सुविधापूर्ण ढंग से किया जा सके।
9. मक्खन की स्टेकिंग की ऊँचाई डीपफ्रीज चेंबर में 11 बक्सों की ऊँचाई से अधिक नहीं होगा चाहिये।
10. मक्खन का अग्नि एवं चोरी (Fire & Theft) बीमा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जावेगा।



11. निविदाकर्ता द्वारा निविदाये अनुमोदित दर से मासिक देयक प्रत्येक माह के अंत में प्रस्तुत किये जायेंगे।
12. भुगतान प्रत्येक माह की 10वीं, 20वीं एवं अंतिम दिनांक के अंतिम शेष के आधार पर किया जायेगा।
13. उक्त अनुबंध अवधि दो वर्ष हेतु रहेगी। जिसे आपसी सहमति के आधार पर 1 वर्ष बढ़ाया जा सकती है।
14. अपूर्ण पता अथवा पहचान के कारण निरस्त हुई निविदाओं की जवाबदारी दुग्ध संघ की नहीं होगी। समयावधि में प्राप्त निविदाओं पर ही विचार किया जावेगा।
15. निविदा खुल जाने के पश्चात् निविदाकार को निविदा/दर भरने में हुई गलती के कारण निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।
16. निविदा में किये गये सुधार/ओवरराइटिंग के स्थान पर निविदाकार के हस्ताक्षर होने चाहिये।
17. निविदा के साथ इनकम टैक्स क्लियरेंस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
18. दरें परिशिष्ट- (स) में ही भरी जायें। सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेंगी।
19. एक व्यक्ति/फर्म द्वारा केवल एक ही निविदा प्रस्तुत की जावे।
20. एक व्यक्ति/फर्म द्वारा एक से अधिक अलग अलग नामों से प्रस्तुत निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी।
21. निविदाकार संपूर्ण निविदा का कार्य या आंशिक भाग मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन की लिखित अनुमति के बिना किसी दूसरी पार्टी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।
22. उच्च तापक्रम पर मक्खन के भंडारण के कारण मक्खन की गुणवत्ता खराब होने, अधिक एफ.एफ.ए., ईस्ट एवं मोल्ड बढ़ने पर संपूर्ण जवाबदारी कोल्ड स्टोर मालिक की होगी। इस प्रकार हुई संपूर्ण हानि की वसूली डीपफ्रीज मालिक से मक्खन की तत्कालीन बाजार दर से की जावेगी एवं यह उस पर बंधनकारी होगा।
23. निविदा भरते समय निविदाकार को उसकी कोल्ड स्टोर/डीपफ्रीज संबंधी समस्त गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
24. भण्डारण के दौरान यदि श्वेत मक्खन की मात्रा में कमी होती है तो उक्त मात्रा का तत्कालीन दर से कटौती किया जावेगा।
25. दुग्ध संघ की आवश्यकता अनुसार ही श्वेत मक्खन का भण्डारण किया जावेगा।
26. श्वेत मक्खन का भण्डारण संयंत्र में मक्खन की अतिशेष मात्रा अनुसार किया जावेगा एवं वापसी संघ की आवश्यकतानुसार की जावेगी।
27. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन को यदि वह आवेक समझता है तो यह अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध को अपने स्वयं के निर्णय से बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर सके जिसके लिये कोल्ड स्टोर मालिक किसी तरह आपत्ति नहीं उठा सकेगा।



28. निविदाकार के मकखन समुचित रूप से ढंडा नहीं कर पाने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन का निर्णय अंतिम होगा एवं निविदाकार पर बंधनकारी होगा।
29. उपरोक्त नियम एवं शर्तों के पालन के संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद की स्थिति के निराकरण के संबंध में अध्यक्ष उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।
30. किसी भी विवाद हेतु कार्यक्षेत्र उज्जैन रहेगा एवं विवाद सहकारी न्यायालय में निपटाये जायेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन



सहकारी संघ

# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527061, 2527068, 2527066 Fax : 0734-2527063

E-mail: udsmsis@yahoo.com

क्रमांक/उ.दु.सं./उत्पा./2022/

उज्जैन, दिनांक :

## परिशिष्ट - (द) : तकनीकी प्रपत्र

1. कोल्ड स्टोर यूनिट का नाम - .....
2. कोल्ड स्टोर यूनिट पूरा पता - .....
3. फोन नं./ मोबाईल नं. - .....
4. ई-मेल आईडी - .....
5. अमानत राशि ऑनलाइन जमा की रसीद  
(क्रमांक/दिनांक व छायाप्रति संलग्न करें) - .....
6. वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं प्रकार - .....
7. आयकर (पैन कार्ड) का विवरण  
(छायाप्रति संलग्न करें) - .....
8. किसी दुग्ध संघ : द्वारा काली सूची में - .....
- नामित नहीं किया है इस सम्बन्ध में शपथ पत्र रु. 100/-  
(नोटरी द्वारा सत्यापित)
9. जी.एस.टी. नं. (छायाप्रति संलग्न करें) - .....
10. FSSAI पंजीयन क्रमांक(छायाप्रति संलग्न करें)- .....

निविदा फार्म में वर्णित उज्जैन दुग्ध संघ के समस्त नियम व शर्तें पूर्णतः मान्य हैं ।

स्थान .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम -

मोबाइल नं.-





# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527061, 2527068, 2527066 Fax : 0734-2527063

E-mail: udsmsis@yahoo.com

क्रमांक / उ.दु.सं. / उत्पा. / 2022 /

उज्जैन, दिनांक :

## परिशिष्ट - (ई)

श्वेत मक्खन भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोर किराए पर देने हेतु दर प्रस्ताव

क्रमांक	विवरण	दर प्रतिकिलो प्रतिमाह	जी.एस.टी. राशि	कुल योग
01	25 किलो / 20 किलो पैकिंग में श्वेतमक्खन का शीतलीकरण एवं भण्डारण			

हमारे द्वारा निविदा के नियम एवं शर्तें पूरी तरह से पढ़ ली गई हैं। एवं तदनुसार दरें प्रस्तुत की गई हैं।

हस्ताक्षर निविदाकार